

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227790
SG-DL-E-22062021-227790

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]	दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 56
No. 168]	DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943	[N. C. T. D. No. 56

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2021

सं. फा. 41(367)/डीएसडब्ल्यू/एफएस/कोविड रिलीफ/2021-22/2758-2771.—कोविड -19 के कारण परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए और कोविड -19 महामारी के कारण आजीविका कमाने वाले की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ: —

- (क) इस योजना को मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहा जा सकता है।
(ख) यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लागू होगी।
(ग) यह योजना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. योजना के उद्देश्य और घटक:

योजना के उद्देश्य हैं:

- (क) दिल्ली में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण परिवार के आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की

मृत्यु होने पर परिवार के जीवित सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। इसके अलावा, राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा।

(ख) मृतक के परिवार को प्रत्येक मृत्यु पर 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के बाद कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को यह अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

3. घटक, वित्तीय सहायता की तदनुरूपी मात्रा और पात्रता का विवरण निम्न प्रकार है :

(ए) घटक (ए):- मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता

(i) पात्रता और सहायता की मात्रा

स्थिति (कोविड-19 के कारण परिवार के कामकाजी सदस्य की मृत्यु)	योग्य आश्रित	राशि	विवरण
पति	पत्नी	2500/-रुपये आजीवन	इसके अतिरिक्त पात्र होने पर पत्नी को विधवा पेंशन भी
पत्नी	पति	2500/-रुपये आजीवन	शून्य
एकल अभिभावक (अन्य अभिभावक जिनकी कोविड-19 के कारण पहले ही मृत्यु हो चुकी है/अन्यथा तलाक के कारण अलग रह रहे हैं)	25 वर्ष के कम आयु का प्रत्येक बच्चा	मृत्यु अभिभावक के प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु होने तक 2500/-रुपये।	25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायकता के योग्य समझा जायेगा। (इस प्रकार के मामलों में यदि अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण तथा अन्य की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो)
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो (जहां दोनों में से एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो)	(क) 25 वर्ष से कम प्रत्येक बच्चा (ख) पिता या माता बच्चा न होने की स्थिति में	25 वर्ष की आयु होने तक प्रत्येक बच्चे को 2500/-रुपये। जीवन यापन हेतु पिता/माता के मामले में (केवल एक को ही वित्तीय सहायता दी जायेगी)	पात्र होने पर इसके अतिरिक्त पिता या माता वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
अविवाहित काम करने वाला पुत्र/पुत्री	पिता या माता	2500/-रुपये आजीवन	पात्र होने पर इसके अतिरिक्त पिता या माता वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
भाई/बहन	आश्रित भाई/बहन यदि वे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग हों	2500/-रुपये आजीवन	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग भाई/बहन आजीविका कमाने वाले के साथ रह रहा हो और उस पर आश्रित हो।

* यदि आजीविका कमाने वाले मृतक की पति/पत्नी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हों तब अंतिम कॉलम में यथाउल्लिखित विशेष आवश्यकताओं वाली श्रेणी में आने वाले भाई-बहन योग्य नहीं होंगे।

** यदि परिवार में केवल अवयस्क बच्चे हैं तो आवेदक/लाभार्थी पालक माता-पिता/अभिभावक होंगे जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिट घोषित किया गया है। वित्तीय सहायता अवयस्क बच्चे और पालक माता-पिता/अभिभावक के नाम पर संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित की

जाएगी।

***मृतक और आश्रित दोनों ही दिल्ली के निवासी होंगे

**** कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र (गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार) अथवा जांच में कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर एक माह के भीतर मृत्यु होने पर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड मृत्यु के रूप में सत्यापित होने पर।

***** कोई आय मानदंड नहीं

(ii) कार्यप्रणाली और प्रक्रिया

अपेक्षित दस्तावेज	निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिए: 1. मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र 3. कोविड से मृत्यु का प्रमाण 4. मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज 5. आवेदक के बैंक खाते का विवरण 6. विकलांग आश्रित भाई बहन के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र 7. आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण 8. ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में यथाआवश्यक अन्य
प्रक्रिया	1. स्वास्थ्य विभाग कोविड से होने वाली मौतों की सूची/डेटाबेस समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करेगा जिन्हें बात में मंडलीय आयुक्त मुख्यालय, राजस्व विभाग के माध्यम से क्षेत्र के एसडीएम को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के सत्यापन के लिए भेजेगा। 2. एसडीएम संबंधित एसडीएम द्वारा बनाए गए दिल्ली सरकार के 100 अधिकारियों के एक पूल का उपयोग उपमंडल स्तर पर प्रतिनिधि के रूप में घर का दौरा करने के लिए करेंगे। एसडीएम घर के दौरे के लिए सरकार के प्रतिनिधि को डिजिटल रूप से नियुक्त करेगा जो आवेदक द्वारा दिए गए पते पर सत्यापन के लिए जाएगा और आवेदनों में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। 3. घर का दौरा करते समय दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि सभी प्रासंगिक विवरण एकत्र करेंगे और इसे आश्रितों के लिये अपने टैबलेट/मोबाइल फोन का उपयोग करके डिजिटल रूप में भरेंगे। वे तीन उद्देश्यों के साथ घर का दौरा करेंगे: (क) आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित/स्पष्ट करना। (ख) मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल की रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को वास्तविक मामलों में उनके एसडीएम को तैयार करने की सिफारिश करें यदि वे गायब हैं। (ग) वित्तीय सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विवरण नोट करना। 4. सत्यापित आवेदन और घर के दौरे के आधार पर, एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा रिपोर्ट जमा करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर अपनी सिफारिश भेजे। अनुशंसा ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। एसडीएम आवेदन की तारीख से कुल 12 दिनों की अवधि में मामले की सिफारिश या अस्वीकार कर सकता है।

	5. समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेंगे और अनुरोध को स्वीकार करेंगे और एसडीएम की संस्तुति प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय को भुगतान जारी करने के लिए इसे संसाधित करेंगे। वित्तीय सहायता अनुरोध को आवेदन के 15 दिनों की अधिकतम समय सीमा के भीतर स्वीकार या अस्वीकार (रिकॉर्ड किए गए कारणों के साथ) किया जाना चाहिए और वित्तीय सहायता उस महीने से शुरू होनी चाहिए जिसमें आवेदन जमा किया गया था।
अपीलीय तंत्र	आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, एसडीएम अस्वीकृत मामलों को कारणों के साथ ऑनलाइन डीएम को अग्रेषित करेगा और आवेदकों को अपील के लिए अधिकारी का विवरण और पता एसएमएस संदेश से देगा। ऐसे आवेदक (जिनके आवेदन खारिज हो जाते हैं) पुनर्विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटारा करेंगे।

(ख) घटक (ख) :- मृतक के परिवार को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान

(i) पात्रता और सहायता की मात्रा

किसी भी मरीज की मृत्यु के मामले में, जो कोविड पॉजिटिव है, या तो संस्थागत सेटिंग में या घर पर, मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की राशि अनुग्रह के रूप में दी जाएगी। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि मृतक परिवार का कमाने वाला था या नहीं। यह अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के कारण हुई सभी मौतों को कवर करेगी, अनुग्रह राशि 50,000/- रुपये प्रति मृत्यु पर दी जाएगी।

(ii) कार्यप्रणाली: योजना के इस घटक का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा और राजस्व विभाग द्वारा यथाअनुशासा कार्यान्वयन के लिये विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

(iii) कार्यप्रणाली और प्रक्रिया :-

अपेक्षित दस्तावेज	संबंधित जिले में आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को सलग्न किया जाएगा:- 1. मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र 3. कोविड से मृत्यु का प्रमाण 4. मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज 5. आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
प्रक्रिया	राजस्व विभाग विभिन्न परिस्थितियों में अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिये मंत्री मंडल निर्णय संख्या, 2810 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा और आदेश संख्या एफ 1 (87)/राहत/भवन पतन/ 2010/2663 दिनांक 05.03.2020 के माध्यम से परिचालित एक योजना पहले से ही चला रहा है। इस योजना में अपनाई गई संवितरण प्रक्रिया का भी विचाराधीन योजना के लिए अनुसरण किया जा सकता है।
भुगतान हेतु खाता शीर्ष	संवितरण मेजर हैड "2245" रिलीफ; से दिया जा सकता है जिसके लिए पीड़ित के लिए राहत को स्वीकृत करने की सभी शक्तियां पहले ही अनुमोदित पैमाने के साथ सभी मामलों के अनुसरण में विभागाप्रमुख होने के नाते सभी उपायुक्तों को प्रत्यायोजित कर दी गई है।
सक्षम प्राधिकारी	कोविड-19 के कारण मृत्यु व्यक्ति के परिवार को 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि

	सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त उल्लिखित चल रही योजना के तहत संबंधित डीएम को पहले से ही दी जा रही है।
अपीलीय प्राधिकारी	संबंधित डीएम द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में – आवेदक मंडलीय आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

* कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र (गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार) अथवा जांच में कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर एक माह के भीतर मृत्यु होने पर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड मृत्यु के रूप में सत्यापित होने पर ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. रश्मि सिंह, विशेष सचिव/निदेशक, समाज कल्याण

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd June, 2021

F. 41(367)/DSW/FAS/COVID RELIEF/2021-22/2758-2771.—In order to provide immediate financial relief incase of death of family member due to Covid-19 and continued financial assistance to families affected by the death of the bread earner due to Covid-19 pandemic the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to notify the Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana.

1. Short Title, Extent and Commencement:

- The Scheme may be called as Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana.
- The Scheme shall be applicable for the NCT of Delhi.
- The scheme shall come into force with effect from the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. Objectives and components of the scheme:

The objectives of the Scheme are:

- to provide financial assistance to the surviving family of the bread earner who has died due to Covid 19 pandemic in Delhi since the outbreak of the disease. Government will also consider a single member of the affected family to be enrolled as a civil defense volunteer. Besides these the state affirms to look after the health and education needs of the dependent children as per existing policy.
- To give an Ex-gratia payment of Rs 50000 for each death to the family of deceased. This Ex-gratia assistance shall be given to the kith and kin of the person deceased due to Covid-19, after he applies in the format prescribed by the Revenue Department, GNCTD.

3. The components, corresponding quantum of financial assistance, and eligibility are detailed below :-

(a) Component (A):- Monthly financial assistance to the family of the deceased

(i) Eligibility and Quantum of Assistance

Situation (Death of working member of the family due to covid-19)	Eligible Dependent	Amount	Remarks
Husband	Wife	Rs. 2500 for life	Wife can get widow pension also in addition, if eligible
Wife	Husband	Rs. 2500 for life	NIL
Single Parent (Other parent already died (either due to covid or	Each Child Below 25 years of age	Rs. 2500 to each child of the deceased parents till they attain	Each Child below 25 years of age would be considered for Financial Assistance (In these cases if one

otherwise)/ Separated/ Divorced		age of 25 years	parent died of covid and other died in earlier years)
Both Husband and Wife died (where atleast one of them died due to covid)	Each Child below age of 25 years. Father or Mother incase of no children.	Rs. 2500 to each child till the age of 25 years. Inc case of Father or Mother for life (only one will get the assistance)	Father & Mother can avail old age pension in addition to this if eligible.
Unmarried Working Son / Daughter	Father or Mother	Rs 2500 for life	Father & Mother can avail old age pension in addition to this if eligible.
Brother / Sister	Dependent Brother / Sister if they are physically or intellectually challenged	Rs 2500 for life	Physically or intellectually challenged sibling staying with the breadwinner and dependent on him.

*In case Husband/ Wife of the deceased bread earner is getting the benefit of the scheme then the sibling in the special needs category as cited in last column shall not be eligible.

**If family is survived by only minor children then applicant/ beneficiary will be the foster parent/ guardian who has been declared fit under the provisions of JJ Act by the Child Welfare Committee. The financial assistance shall be transferred to the joint bank account in the name of the minor child and the foster parent/guardian.

*** The deceased and dependents both shall be residents of Delhi

**** Death must be due to COVID related i.e. certified as COVID death (as per MHA data) or death within one month of testing COVID positive and verified by Health Department as Covid death.

***** No income criterion

(ii) Methodology and Procedure

Documents required	The following documents shall be attached with the application: - 1. Proof of residence of both deceased & dependents. 2. Death certificate 3. Proof of Covid death 4. Documents establishing relationship between deceased & applicant 5. Bank Account details of the applicant. 6. Incase of disabled dependent sibling, disability certificate 7. Proof of age of the dependent children 8. Others as required in e district portal
Procedure	1. Health Department shall share list/ database of Covid deaths with Department of Social Welfare which in turn shall send that to the area SDMs through DC HQ Revenue Department for verification of cases falling in their respective jurisdiction. 2. SDM will use a pool of 100 officials of Delhi government as created by the respective SDM to act as representatives at sub division level for conduct of home visit. SDM shall digitally assign Government's representative for home visit who shall go for verification at the address provided by the applicant and also provide assistance for submission of details in the applications. 3. The Delhi Government's representative at the time of Home visit will collect all relevant details and fill it for the dependent in digital form using their tablet/mobile phone. They shall conduct the home visit with three objectives: a. Verify/clarify the details mentioned in the application form b. Recommend the preparation of the documents like death certificate, hospital report, etc to their SDM in genuine cases if the same is missing c. Note the details of children below 25 years to determine the quantum of Financial Assistance. 4. Based on verified application and home visit, SDM to send his recommendation, within 5 working days of submission of report by the field staff. The recommendation shall be sent online through e district portal to District Social Welfare Officers of Department of Social

	Welfare for sanction. SDM to recommend or reject the case in a period of total 12 days from the date of application. 5. The District Social welfare officers of Social Welfare department shall scrutinise the documents submitted as per eligibility criteria and shall approve the request and process it for release of payments to the Social Welfare HQ within 3 days of receiving the recommendation from the SDM. The Financial Assistance request should be accepted or rejected (with reasons recorded) within a maximum time limit of 15 days of the application and the Financial Assistance should start from the month in which application was submitted.
Appellate mechanism	In case of the rejection of the application, the SDM would forward the rejected cases with reasons to DM online and SMS message to the applicants giving details of the officer and address for appeal. Such applicants (those whose application is rejected) can appeal to the District Magistrate for reconsideration. The DM shall dispose off the appeal based on SoP developed by SWD.

(b) Component (B) :- One time Ex-Gratia payment to the family of deceased

(i) Eligibility & Quantum of Assistance

In the case of death of any patient who is Covid positive, either in institutional setting or at home, an amount of Rs 50,000 would be given as ex-gratia to the family of the deceased. This would be irrespective of whether the deceased was the bread earner of the family. This ex-gratia amount would cover all deaths that have taken place due to COVID-19 pandemic, the Ex-gratia amount of Rs. 50,000/- would be given per death.

(ii) Methodology : This component of the scheme shall be operated by the Revenue Department and the detailed procedure for implementation as recommended by Revenue Department is as under:-

(iii) Methodology and Procedure

Documents required	The following documents shall be attached with the application to be filled by the applicant in concerned district:- 1. Proof of residence of both deceased & dependents. 2. Death certificate 3. Proof of Covid death 4. Documents establishing relationship between deceased & applicant 5. Bank Account details of the applicant.
Procedure	The Revenue Department is already running a scheme approved vide Cabinet Decision No, 2810 dated 05.03.2020 and circulated vide order No. F 1 (87)/Relief/ Building Collapse/ 2010/2663 dated 05.03.2020; granting Ex-gratia Relief in various eventualities. The disbursement procedure adopted in this scheme may also be followed for the scheme under consideration.
Head of account for payment	The Disbursement may be made from Major Head "2245" Relief; for which all the power to sanction of relief to the victims have already been delegated to all the Deputy Commissioner being HOD in all cases in accordance with scale approved
Competent Authority	The Competent Authority to grant the ex-gratia of Rs. 50000/- to the family of deceased died of Covid 19 shall be the concerned DM as already being done under the already running scheme stated above
Appellate Authority	In case of rejection of application by concerned DM, the applicant can file the grievance before the Divisional Commissioner.

*Death must be due to COVID related i.e. certified as COVID death (as per MHA data) or death within one month of testing COVID positive and verified by Health Department as Covid death.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Spl. Secy./ Director, Social Welfare